

दिनांक: 22 फरवरी 2017

प्रति,

श्री आर एल गुप्ता
सूचना अधिकारी, {विजिलेन्स विभाग}
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार
110001

विषय: सूचना का अधिकार 2005 के अधिनियम सेक्शन 2 {जे} के तहत वाछित पत्रावलियों का निरीक्षण करवाये एवं वाछित सूचना प्रदान करने के तारतम्य में।

महोदय,

निम्नांकित सूचना अधिनियम के तहत संबंधित समस्त पत्रावलीयो का निरीक्षण करवायें एवं निरीक्षण उपरान्त समस्त दस्तावेज प्रदान करें।

- सूचना-1 पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई भोपाल द्वारा, मंत्रालय के मुख्य सर्तकता अधिकारी का दिनांक 07/10/15 को (संदीप कुलश्रेष्ठ के प्रकरण से संबंधित) प्रेषित पत्र की सत्यापित प्रति मय संलग्नको के साथ उपलब्ध करवायें।
- सूचना-2 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा, दिनांक 07/10/2015 के पत्र पर, पर्यटन मंत्रालय के मुख्य सर्तकता अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, तो कार्यवाही से संबंधित सूचना मय संलग्नको के साथ प्रदान करें।
- सूचना-3 पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई भोपाल द्वारा, मंत्रालय के मुख्य सर्तकता अधिकारी का दिनांक 07/10/15 को (संदीप कुलश्रेष्ठ के प्रकरण से संबंधित) प्रेषित पत्र/रिपोर्ट पर किस दिनांक को जाँच आदेश जारी किया गया। जाँच आदेश की सत्यापित प्रति प्रदान करें।
- सूचना-4 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पत्र दिनांक 07/10/2015 के समबन्ध में, माननीय पर्यटन मंत्री जी को अवगत करवाया गया, यदि हाँ तो अवगत करवाने संबंधी पत्रावली की सूचना प्रदान करे।
- सूचना-5 अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुख्य सर्तकता अधिकारी श्रीमति मीनाक्षी शर्मा को प्रेषित मेल दिनांक 26.07.16, अगस्त 22 एवं 30, 2016 'सुश्री नीला लाड के विरुद्ध विभागीय जाँच आरम्भ करने बावत' उपरोक्त मेल के निराकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजो/पत्रावलीयो का निरीक्षण करवाये।

नोट:- सनद रहे कि श्री आर एल गुप्ता, सूचना अधिकारी सी0बी0आई रिपोर्ट पर पूर्व मे स्पष्टतः झूठ बोल चुके है, जिसके प्रमाण मौजूद है। निश्चित समयावधि के तहत जवाब प्रदान किया जाय ।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता



मनोज प्रताप सिंह यादव

डी.एच.86 सेक्टर-डी

दीनदयाल नगर ग्वालियर

म.प्र. 474005

मो.न.09425115586

yadavmps@gmail.com

